जीएसटी के रिटर्न भरने की समयावधि में वित्त मंत्रालय ने जारी की गैजेट अधिसूचना

■ जुलाई माह का जीएसटी आर-1 को 1 से 5 सितंबर, जीएसटी आर-2 को 6 से 10 सितंबर, जीएसटीआर-3 को 11 से 15 सितंबर तथा जीएसटीआर-3बी 20 अगस्त को भरा जा सकेगा ■ सितंबर माह का जीएसटीआर-1 को 16 से 20 सितंबर, जीएसटीआर-2 को 21 से 25 सितंबर, जीएसटीआर-3 को 26 से 30 सितंबर तथा जीएसटीआर-3बी को 20 सितंबर तक भर सकेंगे

असली आजादी ब्यूरो, नई दिल्ली, 8 अगस्त। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आज गैजेट अधिसूचना जारी कर जुलाई माह और अगस्त माह के लिये रिटर्न भरने की समयावधि की घोषणा की गयी है। जारी की गई अधिसूचना अनुसार जुलाई माह का जीएसटीआर-1 को 1 से 5 सितंबर, जीएसटीआर-2 को 6 से 10 सितंबर, जीएसटीआर-3 को 11 से 15 सितंबर के दौरान तथा जीएसटीआर-3बी को 20 अगस्त को भरना होगा। इसी तरह सितंबर माह का जीएसटीआर-1 को 16 से 20 सितंबर, जीएसटीआर-2 को 21 से 25 सितंबर, जीएसटीआर-3 को 26 से 30 सितंबर तक और जीएसटीआर-3बी को 20 सितंबर को भरना होगा। यह अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र यानि गैजेट के भाग-।। खण्ड 3 उप खण्ड(।) संख्या 678 में नई दिल्ली से जारी गैजेट में प्रकाशित की गई है।

असली आजादी
Wed, 09 August 2017
www.readwhere.com/read//c/21213738